प्रेस नोट, जालौन पुलिस

दिनांक – 06.10.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली जालौन पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्गत धारा 5A / 9(ख) विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.2024 को कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला नारोभास्कर कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन के एक मकान में दबिश दी गयी, जहां से करीब 06 कुन्तल 22 किग्रा0 विस्फोटक समाग्री बरामद की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली जालौन में मु0अ0सं0 306/24 धारा 5A व धारा 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर धीरू उर्फ धीरेन्द्र साहू पुत्र रामप्रकाश साहू निवासी मोहल्ला नारोभास्कर कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन मौके से फरार हो गया था। अभियुक्त धीरू उर्फ धीरेन्द्र साहू उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीमो का गठन किया गया था। दिनांक 05.10.2024 को धीरू उर्फ धीरेन्द्र साहू उपरोक्त को उरई-जालौन मार्ग के अकोढ़ी दुबे कट से कामाक्षी देवी मन्दिर की ओर जाने वाली सडक से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ में अभियुक्त धीरू उर्फ धीरेन्द्र साहू द्वारा बताया गया कि वह जनपद कानपुर देहात व ग्वालियर म0प्र0 से माल खरीदता था और जनपद जालौन एवं आस-पास के जनपदों व भिण्ड म0प्र0 में माल की सप्लाई करता था।

पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जालौन मय टीम।
2. एसओजी/सर्विलांस प्रभारी मय टीम।